(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 72/2022

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2022/295

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री चन्द्रशेखर राठौर पुत्र श्री कन्हैया लाल उम्र 55 वर्ष जाति राठौर निवासी जामा मस्जिद के पास सीसवाली बारां (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स स्वास्तिक किराना स्टोर मांगरोल रोड सीसवाली जिला बारां
2. मैसर्स स्वास्तिक किराना स्टोर मांगरोल रोड सीसवाली जिला बारां (राज.)
3. श्री विजय शंकर नागर पुत्र श्री बाबू लाल निवासी छोटी तलाई के पास वार्ड नं0 01 शाहपुरा बारॉ राज. (मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सी बस स्टेण्ड सीसवाली जिला बारॉ
4. मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सी बस स्टेण्ड सीसवाली जिला बारॉ
5. श्री आदित्य छावडी पुत्र श्री अमृत लाल निवासी 7–के–6 महावीर नगर तृतीय कोटा (भागीदार) मैसर्स ओनेस्ट मिल्क एण्ड फूडस् प्लाट नं. एफ–169 से 172 एवं जी–173 से 176 एग्रो फूड पार्क फेज–2 रानपुर कोटा।
6. डा. श्री बजरंग लाल गोचर पुत्र श्री मूल लाल गोचर निवासी 7–सी–34 महावीर नगर तृतीय कोटा (भागीदार) मैसर्स ओनेस्ट मिल्क एण्ड फूडस् प्लाट नं. एफ–169 से 172 एवं जी–173 से 176 एग्रो फूड पार्क फेज–2 रानपुर कोटा।
7. मैसर्स ओनेस्ट मिल्क एण्ड फूडस् प्लाट नं. एफ–169 से 172 एवं जी–173 से 176 एग्रो फूड पार्क फेज–2 रानपुर कोटा।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 14.09.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2022 को मैसर्स स्वास्तिक किराना स्टोर मांगरोल रोड सीसवाली जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री चन्द्रशेखर राठौर पुत्र श्री कन्हैयालाल राठौर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:29:51 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिन[illegible]2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29[illegible]2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम** मूल पौलीपेक फ्रीज में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम** मूल पौलीपेक में मिलावट अथवा मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम के 12** मूल पौलीपेक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री चन्द्रशेखर राठौर पुत्र श्री कन्हैयालाल राठौर(विक्रेता एवं मालिक) को 120/– रूपये (अक्षरे एक सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम के 12** मूल पौलीपेक को चार भागो मे बाटकर प्रत्येक भाग को अलग अलग प्लास्टिक की शिशियो मे हिलामिलाकर भरा एवं प्रत्येक शीशी मे फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बन्द किया व नमूने का विवरण सहित लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल तैयार कर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए. एच.–1503 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1503 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री चन्द्रशेखर राठौर पुत्र श्री कन्हैयालाल राठौर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:29:51 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/217 दिनांक 16.08.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1095/PHL/kota/Act/2022/1097 दिनांक 02.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम** अवमानक(**Sub standard**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 21.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही पेश की गई है। अप्रार्थी क्रम 5 ता 7 द्वारा उक्त प्रोडक्ट को जांच परख कर सही पाये जाने पर हीं विक्रय के लिए भेजा जाता है और अप्रार्थीग क्रम 1 ता 4 दूध व अन्य प्रोडक्ट को बन्द पैकिंग में खरीद कर अपनी दुकान पर बेचान करते है। अप्रार्थीगण ने कभी किसी प्रोडक्ट में मिलावट नहीं की है। अप्रार्थीगण को मिथ्या आधारों पर फंसाने हेतु साक्ष्य के लिए मिलावटी प्रोडक्ट एकत्रित करके अप्रार्थीगण से छिपकर जानकारी में लाये बिना झूठी कार्यवाही पेश की गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1095/PHL/kota/Act/2022/1097 दिनांक 02.08.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाश्चुराइज्ड होमोजिनाइज्ड सुपर दूध (ओनेस्ट) 170 ग्राम** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1095/PHL/ kota/Act/2022/1097 दिनांक 02.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 40,000/— रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800** [illegible] कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र **शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय [illegible] अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **14.09.2023** को मेरे द्वारा [illegible] जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:29:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)